पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–12] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अगस्त, 2011 ई0 (श्रावण 29, 1933 शक सम्वत्) [संख्या–34

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	353–358	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	289–292	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	–	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग–1

अधिसूचना

08 अगस्त, 2011 ई0

संख्या 952 / XXXI(1) / 2011–तात्कालिक प्रभाव से "हिन्दी से अंग्रेजी तथा अंगेजी से हिन्दी अनुवाद कार्य / भाषायी विधीक्षण सम्बन्धी कार्य", जो वर्तमान में भाषा अनुभाग को आवंटित है, को अग्रिम आदेशों / व्यवस्था होने तक विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग के अधीन गठित विधायी प्रकोष्ठ को आवंटित किया जाता है।

2. तद्नुसार उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1093 / XXX(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006 को अगले आदेशों तक इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव।

विधान सभा सचिवालय, उत्तराखण्ड

(अधिष्ठान अनुभाग)

विज्ञप्ति / नियुक्ति

20 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 1986 / वि0स0 / 101 / अधि0 / 2001–विज्ञप्ति / नियुक्ति संख्या 278 / वि0स0 / 101 / अधि0 / 2001, दिनांक 02 मार्च, 2007 द्वारा तदर्थ रूप से नियुक्त प्रतिवेदक श्री खजान चन्द्र जोशी द्वारा दिनांक 08 अप्रैल, 2011 को हिन्दी तथा 04 जुलाई, 2011 को अंग्रेजी आशुलेखन में परीक्षा उत्तीर्ण करने के फलस्वरूप मा0 अध्यक्ष, विधान सभा के आदेशानुसार उनकी परीक्षा उत्तीर्ण करने सम्बन्धी शर्त समाप्त की जाती है।

विज्ञप्ति

31 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 2047 / वि0स0 / 38 / अधि0 / 2001–वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम–56 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री महेश चन्द्र, प्रमुख सचिव, विधान सभा अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31–07–2011 की अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गये।

महेश चन्द्र,
प्रमुख सचिव।

विज्ञप्ति

05 अगस्त, 2011 ई0

संख्या 2082 / वि0स0 / 48 / अधि0 / 2001–वित्तीय हस्त–पुस्तिका खण्ड–2, भाग 2 से 4 के मूल नियम–56 में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत श्री बुद्धि बल्लभ ममगांई, अनुभाग अधिकारी, विधान सभा जिनकी जन्म तिथि 07–01–1952 है। अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 31–01–2012 को सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

हरीश चन्द्र जोशी,
अपर सचिव।

सिंचाई अनुभाग

विज्ञप्ति

10 अगस्त, 2011 ई0

संख्या 1965/II–2011–01(46)/2002–एतद्द्वारा यह विज्ञप्ति की जाती है कि उत्तराखण्ड सिंचाई विभाग के निम्नलिखित उपराजस्व अधिकारी उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो जायेंगे :–

क्र0सं0	नाम	पदनाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1.	श्री महेश राम आर्य	उपराजस्व अधिकारी	08–02–1952	29–02–2012
2.	श्री नन्दन सिंह रावत	उपराजस्व अधिकारी	20–08–1952	31–08–2012

पी0 सी0 शर्मा
प्रमुख सचिव।

चिकित्सा अनुभाग–2

अधिसूचना

नियुक्ति

20 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 619/XXVIII–2–2011–48/2010–अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ उप संवर्ग) के पदों पर लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा वर्ष 2009–2010 में किये गये चयन के फलस्वरूप की गई संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय संलग्न सूची में उल्लिखित औबन्धिक अभ्यर्थियों का औपबन्धन समाप्त करते हुए, उत्तराखण्ड प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग (साधारण ग्रेड) (विशेषज्ञ उप संवर्ग) के अन्तर्गत वेतनमान ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400 में चिकित्साधिकारी (विशेषज्ञ) के पद पर निम्न शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) सम्बन्धित अभ्यर्थियों को संलग्न सूची में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ–6 में अंकित स्थान पर तैनात किया जाता है, परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि यदि चरित्र एवं प्राग्वृत्त के सत्यापन के पश्चात् उनका चरित्र एवं प्राग्वृत्त सेवा में नियुक्ति हेतु उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी नियुक्ति तात्कालिक प्रभाव से निरस्त समझी जायेगी।

(2) इन अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय मेडिकल बोर्ड द्वारा किया जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वस्थ्य घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। अभ्यर्थी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डलीय व निदेशक से सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। मण्डलीय निदेशक द्वारा अभ्यर्थी का स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र सम्बन्धित अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा अस्थाई रूप से अयोग्य घोषित किये गये अभ्यर्थी के मामले स्वास्थ्य परीक्षण कराये जाने हेतु शासन को संदर्भित किये जायेंगे।

(3) नियुक्त अधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य महंगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते भी देय होंगे। उत्तराखण्ड सरकार चिकित्सक (एलोपैथिक) प्राईवेट प्रेक्टिस पर उत्तर प्रदेश निर्बन्धन नियमावली, 1983 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रेक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रेक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

(4) नवनियुक्त अभ्यर्थी दिनांक 10 अगस्त, 2011 के पूर्व अपने पद का कार्यभार अवश्य ग्रहण कर लें। इस अवधि के भीतर वे अपने तैनाती के जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा प्रस्तर–1(6) में अंकित सभी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे इस अवधि के भीतर अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी को अपनी योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।

(5) नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु अभ्यर्थी को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

(6) अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्न प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–

(i) अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा–पत्र (संलग्न प्रारूप में)।

(ii) उत्तराखण्ड मेडिकल काउन्सिल द्वारा किये गये स्थायी पंजीकरण की दो प्रतियां।

(iii) शपथ/निष्ठा का प्रमाण–पत्र।

(iv) गोपनीयता का प्रमाण–पत्र।

(v) चल तथा अचल सम्पत्ति का प्रमाण–पत्र।

(vi) लिखित रूप से एक अन्डटेकिंग कि यदि चरित्र एवं पूर्ववृत्त के सत्यापन के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है, तो उनकी यह नियुक्ति निरस्त समझी जायेगी, जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(vii) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का घोषणा–पत्र।

(viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त स्वस्थता प्रमाण–पत्र।

2. प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता लोक सेवा आयोग से प्राप्त वरिष्ठता क्रम के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी।

शासनादेश संख्या 619/XXVIII–2–2011–48/2010, दिनांक 20 जुलाई, 2011 का संलग्नक

क्र0सं0	चिकित्साधिकारी का नाम/पदनाम	गृह जनपद	स्थायी पता	पत्र व्यवहार का पता	तैनाती का स्थान
1.	डा0 विशाल अरोरा, पैथोलॉजिस्ट	हरिद्वार	डा0 विशाल अरोरा, 384/1–बी, 43 सिविल लाईन्स, जादूगर रोड, रुड़की, जिला हरिद्वार	डा0 विशाल अरोरा, 384/1–बी, 43 सिविल लाईन्स, जादूगर रोड, रुड़की, जिला हरिद्वार	सामु0 स्वा0 के0, लोहाघाट, चम्पावत
2.	डा0 संजीव शर्मा, एनेस्थेटिस्ट	गाजियाबाद (उ0प्र0)	डा0 संजीव शर्मा, 9–बी0, आर्शीवाद कुन्ज, पश्चिमी मॉडल टाउन, एम0एम0एच0 कालेज के निकट, गाजियाबाद (उ0प्र0)	डा0 संजीव शर्मा, 9–बी0, आर्शीवाद कुन्ज, पश्चिमी मॉडल टाउन, एम0एम0एच0 कालेज के निकट, गाजियाबाद (उ0प्र0)	जिला चिकित्सालय, गोपेश्वर

विज्ञप्ति / पदोन्नति

29 जुलाई, 2011 ई0

संख्या 413 / XXVIII–2–2011–159 / 2007–उत्तराखण्ड पी0एम0एच0एस0 संवर्ग के अन्तर्गत वरिष्ठ चिकित्साधिकारी (सामान्य उप संवर्ग), वेतनमान वेतन बैण्ड–3 ₹ 15600–39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600 के पद पर कार्यरत निम्नलिखित वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही संयुक्त निदेशक (सामान्य उपसंवर्ग) वेतनमान वेतन बैण्ड–4, ₹ 37400–67000, ग्रेड वेतन ₹ 8700 के पद पर पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

1. डा0 मीना रतूड़ी
2. डा0 मंयक उपाध्याय
3. डा0 गुरपाल सिंह
4. डा0 सुपो सिंह दुग्ताल
5. डा0 ऊषा गुंजियाल
6. डा0 बुद्धि चन्द्र रमोला

2. उक्तानुसार प्रोन्नत किये जा रहे संयुक्त निदेशकों को 01 वर्ष की विहित परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

3. उक्तानुसार प्रोन्नत संयुक्त निदेशकों की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

डा0 उमाकान्त पंवार,
सचिव।

कार्यालय, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

विज्ञप्ति / प्रोन्नति

23 मई, 2011 ई0

संख्या 1504 / 01 / अधि0 / 2011–12–तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित अपर निजी सचिव को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत निजी सचिव ग्रेड–1 के रिक्त पद पर वेतनमान ₹ 9300–34800+ग्रेड पे ₹ 4800 में अस्थाई रूप से प्रस्तर 2 व 3 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है :–

1– श्री सुभाष चन्द्र

2– उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिक की तैनाती आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3– उपरोक्त कार्मिक को निजी सचिव ग्रेड–1 के पद पर नियमानुसार दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रखा जाता है।

23 मई, 2011 ई0

संख्या 1505/01/अधि0/2009–10–रिट याचिका संख्या 1063/2009 (एस/एस) सुनील कुमार मिश्र बनाम उत्तराखण्ड शासन व अन्य, रिट याचिका संख्या 1227/2009 (एस/एस) हनुमान प्रसाद तिवारी बनाम उत्तराखण्ड शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2010 को पारित आदेश के अनुपालन में निम्नलिखित समीक्षा अधिकारियों को नियमित चयनोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अन्तर्गत अनुभाग अधिकारी के रिक्त पदों पर वेतनमान रु0 9300–34800 में ग्रेड वेतन रु0 4800 पर अस्थाई रूप से प्रस्तर–2 से 4 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 04 मई, 2010 से नियमित प्रोन्नति प्रदान की जाती है–

1. श्री सुनील कुमार मिश्र

2. श्री आशीष कुमार जायसवाल

2. उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप उपरोक्त कार्मिकों की तैनाती के पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

3. उपरोक्त कार्मिकों की अनुभाग अधिकारी के पद पर प्रोन्नति, दिनांक 04 मई, 2010 से प्रोन्नति आदेश जारी होने के मध्य की अवधि हेतु, मात्र नोशनल रूप में होगी।

4. उपरोक्त कार्मिकों की प्रोन्नति रिट याचिका संख्या 1063/2009 (एस/एस) सुनील कुमार मिश्र बनाम उत्तराखण्ड शासन व अन्य, रिट याचिका संख्या 1227/2009 (एस/एस) हनुमान प्रसाद तिवारी बनाम उत्तराखण्ड शासन व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 31 अगस्त, 2010 को पारित आदेश के अनुपालन में तथा मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर SLP संख्या 4537/2011 महावीर सिंह परमार बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी।

कुँवर सिंह,
सचिव।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 अगस्त, 2011 ई0 (श्रावण 29, 1933 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

August 02, 2011

No. 168/UHC/XIV/42/Admin.A--Sri Kanta Prasad, District Judge, Almora, is hereby sanctioned medical leave for 16 days *w.e.f.* 06-07-2011 to 21-07-2011.

August 04, 2011

No. 172/XIV-a-43/Admin.A/2008--Sri Harish Kumar Goel, 6th Addl. District & Sessions Judge, Hardwar, is hereby sanctioned earned leave for 10 days *w.e.f.* 16-06-2011 to 25-06-2011 with permission to suffix 26-06-2011 as Sunday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
PRASHANT JOSHI,
Registrar (Inspection).

कार्यालय, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड

(फार्म–अनुभाग)

विज्ञप्ति

08 अगस्त, 2011 ई0

पत्रांक 1939 / आयु0कर, उत्तरा0 / फार्म–अनु0 / 2011–12 / केन्द्रीय फार्म–सी / एफ / खोया / चोरी / नष्ट हुए / दे0दून– केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तराखण्ड) नियमावली, 2006 के नियम–8 के उपनियम 13 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित "फार्म–सी" जिसके खो जाने / चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है, को सार्वजनिक प्रकाशनार्थ अनुमति प्रदान करते हुए इस फार्म के प्रयोग को अवैध घोषित करती हूँ :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री इप्का लेब्रोट्रीज लि0, सी–6 सारा इण्ड0 स्टेट, चकराता रोड, रामपुर, देहरादून	(Form-C)–01	U.K. VAT/C-2007-499934

हेमलता ढौडियाल,
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

06 अगस्त, 2011 ई0

पत्रांक 1916/आयु0क0,उत्तरा0/फार्म–अनु0/2011–12/आ0घो0प0/खोया/चोरी/नष्ट हुए/दे0दून–उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम–30(12) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके, मैं, अपर आयुक्त, वाणिज्य कर, उत्तराखण्ड, निम्नलिखित सूची में उल्लिखित आयात घोषणा–पत्र (प्ररूप–XVI) जिसके खो जाने/चोरी हो जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम–30 के उपनियम (9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, को तत्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूं :–

क्र0सं0	व्यापारी का नाम व पता	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की संख्या	खोये/चोरी/नष्ट हुए फार्मों की सीरीज व क्रमांक
1.	सर्वश्री के0एम0 इन्जिनियरिंग एण्ड कन्सट्रक्शन, लिंक रोड़, पिथौरागढ़	(प्ररूप-XVI)-01	U.K. VAT-B2009-631459

कुमकुम गुप्ता,
अपर आयुक्त, वाणिज्य कर,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय, मुख्य अभियंता एवं निदेशक
प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान
कालागढ़ (पौड़ी गढ़वाल)

विज्ञप्ति

23 मई, 2011 ई0

पत्रांक 795/प्रअप्रसं/ई–7/123वॉ आधारभूत/स0अ0/सिं0वि0–प्रदेशीय अभियंता प्रशिक्षण संस्थान, कालागढ़ के "123वॉ आधारभूत पाठ्यक्रम" में प्रशिक्षणरत सहायक अभियंताओं हेतु संस्थान द्वारा दिनांक 25–04–2011 से दिनांक 28–04–2011 तक आयोजित परीक्षा में सम्मिलित निम्नलिखित सहायक अभियंताओं (सिविल), सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को उत्तीर्ण घोषित किया जाता है :–

क्र0 सं0	नामांकन सं0	सहायक अभियंता का नाम सर्व श्री	जन्म तिथि	पिता का नाम	गृह जनपद
1	2	3	4	5	6
1.	1894	सुबोध मैठाणी	19–05–1976	श्री मार्कण्डेय प्रसाद मैठाणी	चमौली
2.	1895	प्रताप सिंह	05–05–1970	श्री कंचन सिंह	चमौली
3.	1896	प्रेमलाल नौटियाल	04–01–1964	स्व0 श्री मणीराम नौटियाल	टिहरी गढ़वाल

1	2	3	4	5	6
4.	1897	अत्तर सिंह बिष्ट	05–03–1961	स्व0 श्री आर0एस0 बिष्ट	टिहरी गढ़वाल
5.	1898	भारतभूषण पाण्डे	18–07–1978	श्री महेशचन्द्र पाण्डे	अल्मोड़ा
6.	1899	ललित कुमार	06–07–1972	श्री मदन सिंह	अल्मोड़ा
7.	1900	किशन सिंह बिष्ट	14–11–1964	स्व0 श्री हीरा सिंह बिष्ट	अल्मोड़ा
8.	1901	चन्द्रप्रकाश कोठियाल	21–11–1962	स्व0 श्री सत्यप्रसाद कोठियाल	टिहरी गढ़वाल
9.	1902	बैसाख सिंह पौखरियाल	20–12–1960	श्री के0 एस0 पौखरियाल	उत्तरकाशी
10.	1903	कैलाशचन्द्र उनियाल	28–06–1964	स्व0 श्री जे0पी0 उनियाल	टिहरी गढ़वाल
11.	1904	योगेश पाल सिंह	12–04–1963	श्री बनवारी लाल	हरिद्वार
12.	1905	खिलानन्द नौटियाल	21–04–1957	स्व0 श्री जगदीश प्रसाद	टिहरी गढ़वाल
13.	1906	फरहान खान	23–01–1968	मौ0 इरफान खान	ऊधमसिंह नगर
14.	1907	तरूण कुमार	31–01–1966	श्री राजकुमार बंसल	हरिद्वार
15.	1908	अजय कुमार जौन	30–12–1970	श्री हरपाल सिंह	हरिद्वार

उमेश कुमार,
मुख्य अभियंता एवं निदेशक।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी
देहरादून सम्भाग, देहरादून

आदेश

10 मई, 2011 ई0

संख्या 3117 / लाईसेन्स / 2011–कालसी–बेसोगलानी मोटर मार्ग पर खतार गाँव के निकट दिनांक 19–09–2010 को वाहन संख्या यू0के0–07टीए–2483 मैक्सी कैब दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें 02 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा 09 व्यक्ति घायल हुए। इस सम्बन्ध में कार्यालय को श्री जगत राम जोशी पुत्र स्व0 श्री प्रभुराम जोशी, ग्राम निथला, चकराता, देहरादून द्वारा शिकायत की गयी थी कि घटना की तिथि को चालक श्री चमन सिंह पुत्र श्री संत सिंह, शिरबा, चकराता द्वारा वाहन का संचालन तेज गति एवं लापरवाही से किया जा रहा था, जिस कारण दुर्घटना घटित हुई है। वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) देहरादून से प्राप्त आख्या के अनुसार चालक का वाहन पर नियंत्रण न रखना दुर्घटना का कारण बताया गया है, जिसके आधार पर संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून द्वारा चालक के लाईसेन्स संख्या यू0ए0–0720050042934 जो कि इस कार्यालय द्वारा भारी परिवहन यान हेतु जारी तथा दिनांक 22–06–2011 तक वैध है, के विरुद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इस सम्बन्ध में लाईसेन्सधारक को दिनांक 07–12–2010 को पंजीकृत डाक से नोटिस संख्या 1315 प्रेषित किया गया है। लाईसेन्सधारक द्वारा इस सम्बन्ध में कोई उत्तर न दिये जाने के कारण पुनः दिनांक 31–03–2011 को नोटिस संख्या 2807 पंजीकृत डाक से प्रेषित किया गया है। लाईसेन्सधारक दिनांक 19–04–2011 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। सुनवाई के दौरान लाईसेन्सधारक द्वारा अपने लिखित उत्तर में दुर्घटना का कारण दुर्घटना स्थल पर पुस्ता धंसा होना बताया गया है जबकि सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून से प्राप्त दुर्घटना की जांच आख्या में इसका कोई उल्लेख नहीं है तथा दुर्घटना स्थल पर मार्ग की चौड़ाई 22 फीट बतायी गयी है। कार्यालय को प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में लाईसेंसिंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिये गये बयान / उत्तर में लाईसेंसधारक द्वारा सामने से आ रही यूटिलिटी वाहन को बचाने के प्रयास में यूटिलिटी वाहन से टक्कर लगना दुर्घटना का कारण बताया गया है। कार्यालय द्वारा प्रेषित नोटिस के प्रत्युत्तर में लाईसेंसधारक द्वारा दिये गये लिखित पक्ष एवं लाईसेंसिंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर दिये गये लिखित बयान में दुर्घटना के कारणों में विरोधाभास है, जो कि संतोषजनक नहीं है। यदि दुर्घटनाग्रस्त वाहन से यूटिलिटी वाहन टकराई होती तो दुर्घटनाग्रस्त वाहन के स्वामी / चालक द्वारा उपरोक्त यूटिलिटी वाहन के विरुद्ध

प्राथमिकी दर्ज करायी जानी चाहिए थी जबकि दुर्घटनाग्रस्त वाहन के चालक/लाईसेंसधारक जो कि स्वयं स्वामी हैं, के द्वारा कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं करायी गयी है, जो कि उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह संभव नहीं है कि किसी वाहन की टक्कर से दुर्घटनाग्रस्त हुई वाहन, जिसमें कि 02 लोगों की मृत्यु हो जाय, के स्वामी द्वारा ऐसी वाहन के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज न करायी जाय। यह संभव है कि दुर्घटना के समय चालक/स्वामी के चोटिल होने आदि कारण से वह प्राथमिकी दर्ज न करा पाये हों किन्तु स्वस्थ्य होने के बाद वाहन स्वामी/चालक द्वारा प्राथमिकी दर्ज करायी जा सकती थी। वाहन स्वामी/चालक द्वारा उक्त प्रकरण में ना तो प्राथमिकी दर्ज करायी गयी और ना ही उनको उक्त यूटिलिटी वाहन का पंजीयन संख्यांक ही ज्ञात है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि लाईसेंसधारक द्वारा दिया गया कथन कि यूटिलिटी वाहन उनके वाहन से आकर टकराई, सही नहीं है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून की आख्या में यह पाया गया कि लाईसेंसधारक/चालक जो कि स्वयं वाहन स्वामी हैं, के द्वारा वाहन में निर्धारित क्षमता 10 के सापेक्ष 11 सवारियां ले जायी जा रही थी, जो कि मोटरयान अधिनियम/नियमावली के प्राविधानों का उल्लंघन है तथा लापरवाहीपूर्ण कृत्य है। उक्त वाहन दुर्घटना के सम्बन्ध में सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून द्वारा प्रस्तुत आख्या में उल्लिखित वाहन में सवार घायल यात्रियों श्री मुकेश जोशी पुत्र श्री संतराम जोशी, श्री संजय जोशी पुत्र श्री संतराम जोशी, कु0 अदिती पुत्री श्री संतराम जोशी, कु0 निधि, कु0 निशा पुत्री श्री संतराम जोशी, निवासी सुजऊ, चकराता, देहरादून तथा श्री गीता राम जोशी पुत्र स्व0 श्री प्रभुराम जोशी, निथला, चकराता, देहरादून से भी कार्यालय के पत्र संख्या 2957/लाईसेंस/2011, दिनांक 20 अप्रैल, 2011 के द्वारा अपने लिखित बयान कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया था। दुर्घटना के सम्बन्ध में वाहन में सवार घायल यात्रियों के बयान दिनांक 07–05–2011 को कार्यालय को प्राप्त हुए हैं, जिसमें भी दुर्घटना का मुख्य कारण चालक की लापरवाही व तेज गति से वाहन चलाना बताया गया है।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), देहरादून की आख्या के अनुसार दुर्घटना स्थल पर मार्ग की चौड़ाई 22 फीट है, जो कि उक्त मैक्सी कैब के संचालन हेतु पर्याप्त है। उक्त आख्या में दुर्घटना का कारण चालक द्वारा वाहन पर नियंत्रण न रख पाना बताया गया है। शिकायतकर्ता एवं दुर्घटना के घायलों द्वारा भी वाहन दुर्घटना का कारण चालक की लापरवाही बतायी गयी है।

अतः जनसुरक्षा एवं जनहित के दृष्टिगत लाईसेंसिंग अधिकारी के रूप में, मैं, डी0सी0 पठोई, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 19 की उपधारा–1 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार श्री चमन सिंह पुत्र श्री संत सिंह, ग्राम शिरबा, पो0 डुंगियारा, चकराता, देहरादून को इस कार्यालय द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति संख्या यू0ए0–0720050042934 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ तथा भविष्य में चालक को किसी भी श्रेणी के लाईसेंस प्राप्त करने हेतु निअर्ह घोषित किया जाता है।

डी0 सी0 पठोई,
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 34 हिन्दी गजट/359–भाग 1–क–2011 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।